FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

कन्हैयालाल वगैरह	बनाम	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सागवाड़ा वगैरह

किस्म मुकदमा निगरानी अपील/मुकदमा नं. 21 सन् 2019 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुए	
25.7.2019	वकील उभयपक्ष उपस्थित। आलौच्य अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के द्वारा दिनांक 04.07.2019 को धारा 151 जाप्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने यह अपील रूपान्तरित भूमि का पट्टा नगरपालिका सागवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 30.04.2019 को, के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील में पुर्नग्रहण का आदेश दिनांक 20.12.2012 को प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका, सागवाड़ा द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान अपील धारा 90–क के तहत पारीत आदेश में नहीं होकर दिनांक 30.04.2019 को जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की गई है, जो न्यायालय आप में पोषणीय नहीं है। नगरपालिका अधिनियम, 2009 में धारा 94 के उपनियम 12 में अपील के प्रावधान है और उन्हीं प्राधिकृत अधिकारी के यहॉ अपील प्रस्तुत की जा सकती है। स्वायत शासन विभाग द्वारा दिनांक 26.05.2011 को अधिसूचना जारी कर नगरपालिकाओं के लिये अपील प्राधिकारी अतिरिक्त निदेशक, स्वायत शासन को अधिकृत किया गया है, अतः यह अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अपील निरस्त की जाये। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के उक्त आवेदन की नकल अपीलान्ट को दी जाने पर उनके द्वारा दिनांक 12.07.2019 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपील न्यायालय हाजा में ही लाई होगी। जो अपील प्रस्तुत की गई है, वह पुर्नग्रहण आदेश दिनांक 20.12.2012 के तहत जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की गई है। धारा 90–क में ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का पहले श्रवणाधिकार जिला कलक्टर को था, बाद में राज्य सरकार ने यह अधिकार संभागीय आयुक्त को दे दिये जाने से अपील न्यायालय हाजा में लाई होती है। पूर्व में भी पट्टा जारी किया गया था, उस आदेश के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर के यहां पेश होकर, जिला कलक्टर ने अपील स्वीकार कर पट्टा निरस्त करते हुए केस के संबंध में निर्देश भी दिये गये, जिसे रेस्पोडेन्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट द्वारा चुनौती दी, परन्तु रिट निरस्त होकर जिला कलक्टर के पट्टा निरस्तीकरण आदेश को बहाल रखा गया। इसी अनुसार नगरपालिका मे दुबारा अपील पेश की गई। नगरपालिका अधिनियम 2009 में धारा 94(12) के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते। धारा 90–क के तहत पट्टा जारी करने के पारीत आदेश के		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुए	
	विरूद्ध अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों 90–क (9) के तहत न्यायालय आप में ही श्रवणाधिकार है। आपत्ति निरस्त करते हुए शीघ्र सुनवाई की जाये। प्रकरण में उपरोक्त आवेदन पर उभय पक्षों की बहस भी सुनी गई। उभय पक्षों द्वारा दौराने बहस अपने आवेदन वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए आवेदक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील श्रवणाधिकार विरूद्ध होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया, वहीं विपक्षी अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा का ही श्रवणाधिकार बताते हुए आवेदन खारिज कर अपील में शीघ्र सुनवाई किये जाने निवेदन किया। प्रकरण में हमारे द्वारा उभय पक्ष की सुनी गई बहस व पत्रावली के रेकर्ड का आद्योपान्त अवलोकन कर संबंधित विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण में हम यह पाते है कि वस्तुतः प्रकरण में मौजा सागवाड़ा के खसरा 5497 रकबा 13 बिस्वा के खातेदार पूरिया पिता चौखा मीणा द्वारा नगरपालिका, सागवाड़ा में आवेदन कर भूमि पुर्नग्रहण पश्चात् दिनांक 08.02.2013 को पट्टा प्राप्त किया। प्राधिकृत अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, सागवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 17/2012 दिनांक 20.12.2012 से आराजी नम्बर 5497 रकबा 13 बिस्वा भूमि का पुर्नग्रहण आदेश तहसीलदार की अनुशंषा/राय के आधार पर किया गया। उक्त पुर्नग्रहण आदेश की पालना में नामान्तरकरण दिनांक 26.12.2012 से उक्त भूमिया खातेदारी पूरीया से नगरपालिका, सागवाड़ा के नाम दर्ज हुई। भूमिया पुर्नग्रहण होकर नगरपालिका के नाम दर्ज होने के बाद दिनांक 8.2.2013 को आराजी नम्बर 5497 रकबा 1262 वर्गगज में से 1088 वर्गगज का पट्टा नगरपालिका द्वारा जारी किया गया। उक्त पट्टा जारी होने के बाद दिनांक 08.02.2013 को ही पूरीया द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 को कर दिया। उक्त पट्टे के विरूद्ध वर्तमान अपीलान्ट एवं श्री प्रवीण द्वारा जिला कलक्टर, डूंगरपुर के यहॉ अपील संख्या 05/2014 प्रस्तुत की। उक्त अपील में जिला कलक्टर, डूंगरपुर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.06.2014 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पट्टा दिनांक 8.2.2013 को निरस्त करते हुए प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी, सागवाड़ा को प्रति प्रेषित कर मौके एवं रेकर्ड की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए नवीन नक्शा प्लॉन प्राप्त कर, संतुष्टि उपरांत नियमानुसार रूपान्तरण बाबत् उचित कार्यवाही सम्पादित करने का निर्देश दिया। जिला कलक्टर, डूंगरपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या 8846/2015 माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.02.2017 से उक्त रिट खारिज करते हुए जिला कलक्टर, डूंगरपुर		

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

कन्हैयालाल वगैरह	बनाम	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सागवाड़ा वगैरह

किस्म मुकदमा निगरानी अपील/मुकदमा नं. 21 सन् 2019 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुए	
	का निर्णय बहाल रखा। नरगपालिका, सागवाड़ा के आदेश क्रमांक 811 दिनांक 5.4.2019 से निम्नानुसार आदेश पारीत किया गया– **"माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.2.2017 की पालना में पट्टा बहाली हेतु पुनः नवीन नक्शा प्लान, मौका रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त की गई। पालिका द्वारा पुनः दैनिक भास्कर में दिनांक 23.02.2019 को आपत्तियां आमन्त्रित करने पर श्री कन्हैयालाल पिता जवाहरलाल मेहता निवासी सागवाड़ा, श्रीमती भारती देवी पत्नि ईश्वरलाल भट्ट निवासी खडगदा, श्री प्रवीण कुमार पिता शंकरलाल सुथार निवासी पुनर्वास कॉलोनी एवं श्रीमती तारा पत्नि प्रवीण कुमार सुथार निवासी पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा द्वारा दिनांक 25.02.2019 को आपत्ति प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत आपत्ति के साथ माननीय वरिष्ठ सिविल जज सागवाड़ा में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रकरण संख्या 11/15 मु.दी. में आदेश दिनांक 07.05.2016 से मूल प्रकरण निस्तारण तक प्रार्थना–पत्र में वर्णित वादग्रस्त खसरा नम्बर 5503/4 की दो बिस्वा भूमि पर यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश है जिसका भी अवलोकन किया गया। जिसमें आपत्तिकर्ताओं द्वारा मौजा सागवाडा के आराजी नम्बर 5497 पर माननीय न्यायालय में स्थगन होने का कोई प्रमाण/ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 05/2014 में निर्णय दिनांक 24.06.2016 में भी मौके एवं रेकर्ड की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए तद्नुसार नवीन नक्शा प्लान प्राप्त कर संतुष्टि उपरांत नियमानुसार रूपान्तरण बाबत् उचित कार्यवाही सम्पादित करने का निर्णय किया गया है। अतः समस्त प्रकार की जॉच कर संतुष्टि उपरान्त आपत्तिकर्ताओं द्वारा ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने से आपत्ति खारिज की जाती है तथा पालिका द्वारा पूर्व जारी पट्टा खसरा नम्बर 5497 रकबा 0.13 बिस्वा (1261 वर्गगज) में से 1088 वर्गगज कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिये नियम 2012 के नियम 22 के अंतर्गत पट्टा विलेख जारी किया गया था जिसे बहाल रखा जाता है एवं राजस्व ग्राम सागवाडा के खसरा नम्बर 5497 रकबा 13 बिस्वा भूमि पर किसी		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुए	

भी माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार निर्णय/ आदेश पारित होगा तो उसकी पालना संबंधित पक्षकार को आवश्यक रूप से करनी होगी। इस शर्त पर पट्टा बहाली रखा जाता है।''

प्रकरण में वर्तमान में हमारे समक्ष मूल विवाद आवेदन बाबत् श्रवणाधिकार इस न्यायालय का होने अथवा नहीं होने बाबत् विद्यमान है। प्रकरण में हम इस बाबत् संबंधित विधिक प्रावधानों की स्थिति को भी उद्धृत करना उचित समझते है–

1. **राजस्थान भू–राजस्व अधि.,1956 –**

   (अ) धारा 90–क (7–बी) ''the land shall be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment to the person to whom permission is granted under this section, or to the successors, assignees or transferees of such person, **by the local authority for any permissible non-agriculture purposes in accordance with the rules, regulations of bye-law made under the law applicable to the local authority**, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section(4)"

   (ब) धारा 90–क (9) ''Any person aggrieved by an order of **an officer or authority** made under this sanction may appeal within thirty days from the date of such order to such officer not below the rank of Collector as may be authorized by the State Government in this behalf, who shall, as far as practicable, disposed of such appeal within a period of sixty days from the date of its presentation and if he is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reasons therefore. An order passed under this sub-section shall be final.

उपरोक्त धारा 90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को क्रियान्वित किये जाने के लिये सरकार द्वारा Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture Land for Non-agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012 बनाये गये है। इस प्रकरण से सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार है :–

2. **Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture Land for Non-agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012 –**

   (अ) नियम 7– **Disposal of application**- (1) Each application submitted under rule 4 shall be examined, and enquired by the Authorized Officer separately under rule 6. The Authorized Officer, considering all the facts including reports from the Tehsildar and the **Local Authority** under rule 6……..

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

कन्हैयालाल वगैरह	बनाम	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सागवाड़ा वगैरह

किस्म मुकदमा निगरानी अपील/मुकदमा नं. 21 सन् 2019 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुए	
	(ब) <u>नियम 13 –</u> **<u>Termination of Rights and interest</u>**- (7) After issuing orders under sub rule (5) a copy of same shall be sent to – (ii) **<u>The Local Authority concerned</u>** for allotment of land/ sanctioning of lay-out plan as per the permitted non agriculture use; and (स) <u>नियम 15 – Regularization and approval of layout plan</u>- (1) From the date of order passed under sub-rule (5) or rule 13, the land shall be deemed to have been vest in the State Government free from all encumbrances and **<u>placed at the disposal of the Local Authority</u>** under section 102A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956. (2) **<u>Subject to the provisions of rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to that Local Authority, the said land or part thereof, shall be available for allotment or regularization by the Local Authority for any permissible non-agriculture purposes</u>**. (3) **Allotment or regularization of land so placed at the disposal of the Local Authority shall be made by Local Authority only after the approval of layout plan in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to that Local Authority. ……..** (द) <u>नियम 16 – Application for regularization</u>- (1) …… application by such person for allotment or regularization shall be submitted in form 14 in triplicate …….. (य) <u>फार्म–14</u> – FORM – 14 [See rule – 16(1)] Application for allotment/ regularization of land To, The Secretary/ Chief Municipal Officer, …… (Name of Local Authority) (र) <u>नियम 34 – Revocation of allotment</u> – If after the allotment or execution of lease deed it is found that the allotment or lease deed have been obtained by way of misrepresentation, on the basis of fraudulent documents, with collusion, in contravention of law or any terms and conditions of allotment or lease deed are violated then the Local Authority shall after giving reasonable opportunity of hearing to the allottee revoke the allotment and the land along with any construction thereon, shall be		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुए	

deemed to be vest in the Local Authority free from all encumbrances, and the Local Authority shall not be liable for any damage, whatsoever caused to any person.

(ल) **नियम 36 – Power to call records and revise orders** – The State Government may in appropriate cases, exercise, the powers conferred under section 83 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

3. The Rajasthan Municipalities Act, 2009

(अ) **नियम 194** – "Provisions relating to **erection** of all kinds of buildings. – (1) Within the limits of a Municipality, any person intending-……

उपरोक्त समस्त विधिक प्रावधानों व प्रकरण के तथ्यों के संबंध में हमारे द्वारा ध्यानपूर्वक परिशीलन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि धारा 90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं इसके तहत बने 2012 के नियमों के तहत शहरी क्षेत्र की कृषि भूमियों का रूपान्तरण किये जाने के लिये कृषि भूमियों का पुर्नग्रहण कर उसे स्थानीय निकाय के खाते में दर्ज किया जाकर भूमियों का रूपान्तरण किये जाने के आवेदनों का निस्तारण किये जाने की प्रक्रिया व नियम वर्णित है। हमारे द्वारा संबंधित अधिनियम एवं नियमों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व उपर हमारे द्वारा संबंधित प्रावधानों का वर्णन भी सुलभ संदर्भ के लिये किया गया हैं। हम संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्न अवधारणा/ निष्कर्ष रखते है–

1. धारा 90–क (7–बी)(रा.भू.रा.अ.,1956) – यह धारा वर्णित करती है कि भूमि के पुर्नग्रहण के बाद उक्त भूमि को स्थानीय निकाय के नाम दर्ज की जायेगी तथा उक्त भूमि का आवंटन स्थानीय निकाय द्वारा उनके प्रचलित नियमों के तहत किया जायेगा। अर्थात् यह सुस्पष्ट होता है कि भूमि के स्थानीय निकाय के नाम दर्ज होने के बाद उसका निष्पादन/ आवंटन/ नियमन स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संबंधित उनके यहां प्रचलित भूमि निष्पादन नियमों/ विभाजन– उप विभाजन नियमों के तहत किया जायेगा। राजस्व अधिनियम/ नियमों में स्थानीय निकाय के नियमों के तहत स्थानीय निकाय द्वारा भूमि आवंटन/ निष्पादन की अपील का अधिकार राजस्व न्यायालय को होने बाबत् इन नियमों/ अधिनियमों में कोई प्रावधान वर्णित नहीं है।
2. धारा 90–क(9)(रा.भू.रा.अ.,1956)–यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपील संबंधित प्रावधान है जिसके तहत अपील प्राधिकृत अधिकारी की संभागीय आयुक्त को लाई होती है। उक्त धारा में प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों की अपील ही संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है।उक्त धारा में कहीं भी स्थानीय निकाय

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

कन्हैयालाल वगैरह	बनाम	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सागवाड़ा वगैरह

किस्म मुकदमा निगरानी अपील/मुकदमा नं. 21 सन् 2019 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुए	
	की भूमि आवंटन/ नियमन/ निष्पादन आदेशों की अपील संभागीय आयुक्त को किये जाने के प्रावधान नहीं है। यह स्पष्ट है कि भूमि के पुर्नग्रहण होकर स्थानीय निकाय में भूमि के निहित हो जाने पर उसका पट्टा स्थानीय निकाय द्वारा अपने नियमों के तहत जारी किया जाता है। अर्थात् पट्टे की अपील, इस धारा के तहत संभागीय आयुक्त को किया जाना इस अपील प्रावधान में वर्णित नहीं है। 3. Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture Land for Non-agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012 — इन नियमों में नियम 7 के तहत प्राधिकृत अधिकारी को स्थानीय निकाय से भी रिपोर्ट भूमि अधिग्रहण से पूर्व मंगवाये जाने का निर्देश है अर्थात् प्राधिकृत अधिकारी व स्थानीय निकाय इस नियमानुसार दो पृथक अवयव है। नियम 13 में यह वर्णित है कि भूमि पुर्नग्रहण के आदेश की एक प्रति स्थानीय निकाय को भी प्रेषित की जायेगी, जो स्पष्टतया यह अंगित करता है कि प्राधिकृत अधिकारी तथा स्थानीय निकाय दो पृथक इकाईया है। नियम 15 (एक, दो एवं तीन) अनुसार पुर्नग्रहण के बाद भूमिया स्थानीय निकाय में निहित रहेगी तथा उक्त भूमियों का निष्पादन स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय निकाय की उप विधियों के अनुरूप प्रचलित स्थानीय निकाय नियमानुसार किया जायेगा, यह प्रावधान सुस्पष्ट रूप से इंगित करता है कि स्थानीय निकाय द्वारा भूमियों का निष्पादन पुर्नग्रहण के बाद अपने नियमों व उप विधियों के तहत किया जायेगा, अर्थात् स्थानीय निकाय में भूमिया निहित होने के बाद पट्टा जारी करना (भूमि का आवंटन/ नियमन/ निष्पादन) स्थानीय निकाय के प्रचलित नियमों के तहत किया जाना है, यह कार्य भू–राजस्व अधिनियम एवं नियमों के स्कोप में नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पट्टा/ पट्टे की अपील का भू–राजस्व अधिनियम/ नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। यह तथ्य पुनः प्रतिपुष्ट/ संपुष्ट नियम 16 के तहत होता है,		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुए	
	जिसमें यह वर्णित किया गया है कि नियमन–आवंटन का आवेदन फार्म 14 के तहत किया जायेगा तथा फार्म 14 का आवेदन का प्रारूप में आवेदन सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्थानीय निकाय को किये जाने का प्रारूप विहित है। अर्थात् पट्टे का आवंटन प्राधिकृत अधिकारी को नहीं होकर स्थानीय निकाय के कार्यकारी अधिकारी को होता है, अर्थात् पट्टे का कार्य स्थानीय निकाय एवं उसके कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है, न की इन नियमों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ; इन नियमों में संभागीय आयुक्त को अपील सिर्फ प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों की सुनने का श्रवणाधिकार है। निष्कर्षतः नियमों में स्थानीय निकाय द्वारा जारी पट्टे की अपील की श्रवणाधिकारिता संभागीय आयुक्त को होना वर्णित नहीं है। नियम 34 भी यह स्पष्ट करता है कि यदि पट्टा त्रुटिपूर्ण है तो उसके निरस्तीकरण के लिये आवेदन स्थानीय निकाय में ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नियम 36 भी यदि कोई विशिष्ठ परिस्थितिया है तो राज्य सरकार द्वारा रेकार्ड मंगवा कर आदेश का संशोधन कर सकता है। नियम 34 व 36 भी यह स्पष्ट करते है कि पट्टे बाबत् अपील का श्रवणाधिकार संभागीय आयुक्त को नहीं है। प्रकरण में हम उपरोक्त विधिक स्थिति के विश्लेषण के बाद यह पाते है कि विधि अनुसार पट्टे की अपील सुनवाई का संभागीय आयुक्त को श्रवणाधिकार/ क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रकरण में हम यह भी पाते है कि अपील में पुर्नग्रहण का आदेश 20.12.2012 को जारी किया गया, उसकी अपील नहीं की गई है। यह अपील दिनांक 30.04.2019 को जारी पट्टे के आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त पट्टे में भी नगरपालिका द्वारा अपने पूर्व मे जारी पट्टे दिनांक 8.2.2013 को बहाल रखा है, अर्थात् यह अपील पट्टे के विरूद्ध ही हुई है, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पुर्नग्रहण आदेश के विरूद्ध नहीं हुई है। यदि पुर्नग्रहण आदेश अपास्त होता है, तो परिणाम स्वरूप पश्चात्वर्ती आदेश पट्टे का होने से पट्टा स्वतः अपास्त हो जाता है, यहॉ अपील पट्टे के विरूद्ध की गई है, जिसका इस न्यायालय को श्रवणाधिकार/ क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रकरण में विपक्षी अपीलान्ट का महत्वपूर्ण तर्क यह है कि पूर्व में पट्टे की अपील जो जिला कलक्टर को प्रस्तुत हुई थी एवं इस अपील आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट दायर हुई थी, उनमें रेस्पोडेन्ट द्वारा कभी भी क्षेत्राधिकारिता का उजर नहीं लिया गया, अतएव अब वह यह उजर उठाने को अधिकृत नहीं है। हम विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहते है कि पक्षकारों के विबन्धित (Estopped) होने अथवा सहमत होने से		

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

कन्हैयालाल वगैरह	बनाम	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सागवाड़ा वगैरह

किस्म मुकदमा निगरानी अपील/मुकदमा नं. 21 सन् 2019 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुए	
	न्यायालयों को क्षेत्राधिकार/ श्रवणाधिकार अर्जित नहीं होता, क्षेत्राधिकार/ श्रवणाधिकार विधि अनुसार ही होना चाहिये। प्रकरण में हम यह भी पाते है कि पट्टा स्थानीय निकाय द्वारा सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम 1882, भूमि निष्पादन नियम स्थानीय निकाय के तहत पंजीकृत होकर जारी होता है एवं पंजीकृत दस्तावेजों का निरस्तीकरण सुस्पष्ट रूप से राजस्व न्यायालयों का क्षेत्राधिकार नहीं होता। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 94 नगरपालिका अधिनियम 2009 बाबत् जो आपत्ति उठाई है, वह इस प्रकरण में उपादेय नहीं है क्योंकि वह भवन निर्माण के संबंध में है। उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत अपील पट्टे के निरस्तीकरण के संबंध में है एवं पट्टे की अपील का श्रवणाधिकार / क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है, अतएव आवेदन प्रार्थी रेस्पोडेन्ट स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट श्रवणाधिकार/ क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारिज की जाती है। मिसल फैसल शुमार हो, आदेश सुनाया गया।		

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official